भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

(8)

निगरानी-6452/2018/सीहोर/भू.रा. रिवीजन प्र.क्र. /2018

श्रीमती अनारबाई पत्नी रामचंदर पुत्री अमरसिंह बलाई
निवासी-ग्राम महागांव कदीम तहसील नसरूल्लागंज
जिला-सीहोर ....रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

1. भवंर सिंह नाबालिग द्वारा संरक्षक पिता हीरालाल
आत्मज स्वर्गीय श्री रामप्रसाद बलाई
निवासी-ग्राम महागांव कदीम तहसील नसरूल्लागंज
जिला सीहोर

2. हजारीलाल आत्मज नाथूसिंह जाति बलाई
निवासी-ग्राम महागांव कदीम तहसील नसरूल्लागंज
जिला-सीहोर ....अनावेदकगण

डाक प्राप्त 11-12-18

राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

विद्वान न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग-भोपाल ने प्र.क. 177/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2010 जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज जिला सीहोर के प्र.क्र.59/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 को अपास्त कर तथा न्यायालय नायब तहसीलदार नसरूल्लागंज के प्र.क.31/अ-6अ/13-14 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2014 को यथावत् स्थिर रखकर अपील स्वीकार की जिससे व्यथित एवं विक्षुब्ध होकर सुदृढ़ तथ्यों एवं ठोस वैधानिक आधारों पर रिवीजन सादर समयावधि में प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त सुसंगत तथ्य

01. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनारबाई द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 114, 115, 116 म.प्र.भू.रा.संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम महागांव कदीम की भूमि सर्वे कमांक 62/2/2क/2, 62/2/2ख/2, 66/2, 67/2, 68 कुल किता 5 कुल रकबा 5.27 एकड़ राजस्व अभिलेख में पारिवारिक बंटवारे में उसके नाम दर्ज है । उक्त सर्वे नम्बरों में सर्वे कमांक 62 2 2क 2 रकबा 0.66 एकड़ एवं सर्वे [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6452/2018/सीहोर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-19	आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित की ओर से श्री डी0के0पासी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	